रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2015/कार्तिक 28, 1937
No. 310] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2015/KARTIKA 28, 1937

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(डाक विभाग)
संकल्प

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2015

सं. 17-13/2013-जीडीएस.— ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों, परिलब्धियों और अन्य सुविधाओं की जांच के प्रश्न पर भारत सरकार काफी समय से विचार कर रही है। सरकार ने अब इस प्रयोजनार्थ एक सदस्यीय समिति के गठन का निर्णय लिया है।

2. श्री कमलेश चन्द्र, सदस्य (सेवानिवृत्त), डाक सेवा बोर्ड उक्त समिति के एकल सदस्य होंगे।

3. उक्त समिति ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों की जांच करेगी और यथापेक्षित परिवर्तनों का सुझाव देगी। समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित विषय शामिल होंगे :-

(क) शाखा डाकघरों की प्रणाली, ग्रामीण डाक सेवकों की रोजगार संबंधी शर्तों तथा उनके मौजूदा मजदूरी ढांचे और परिलब्धियों की जांच तथा आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव;

(ख) ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों से संबंधित मौजूदा सेवा समाप्ति हितलाभ योजना/अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की समीक्षा तथा आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव;

(ग) ग्रामीण डाक सेवकों के लिए उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं/कल्याण योजनाओं की समीक्षा और आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव;

(घ) ग्रामीण डाक सेवकों के रूप में नियुक्ति हेतु भर्ती प्रणाली, न्यूनतम अर्हताओं तथा इनसे संबंधित आचरण और अनुशासन संबंधी नियमों की जांच और सुझाव, यदि कोई हो, विशेष रूप से ग्रामीण डाकघरों में प्रौद्योगिकी के प्रस्तावित समावेशन को ध्यान में रखते हुए।

4. समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा और सरकार के विशेषाधिकार से इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा।

5. उक्त समिति के अध्यक्ष को श्री टी. क्यू. मोहम्मद सहयोग करेंगे, जोकि विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी हैं। श्री मोहम्मद उक्त जीडीएस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। डाक विभाग द्वारा उक्त समिति को पर्याप्त संख्या में सहायक कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे। उक्त समिति 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यकाल के दौरान उसे अपने कार्य की प्रगति से अवगत कराती रहेगी।

6. उक्त समिति अपने कार्य की प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी और किसी भी ऐसी सूचना तथा प्रमाण, जिसे वह आवश्यक समझे, की मांग कर सकेगी।

7. उक्त समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

श्री प्रदीप कुमार, निदेशक (स्थापना)

MINISTRY OF COMMUNICATION

(Department of Posts)

RESOLUTION

New Delhi, the 19th November, 2015

No. 17-13/2013-GDS.– The question of examining the conditions of service and emoluments and other facilities available to the Gramin Dak Sevaks has been under the consideration of the Government of India for some time. The Government has now decided to set up a one-man committee for the purpose.

2. Shri Kamlesh Chandra, Retired Member of the Postal Services Board will constitute the Committee.

3. The Committee will go into the service conditions of Gramin Dak Sevaks and suggest changes as considered necessary. The terms of reference of the Committee will, inter alia, include the following:-

(a) To examine the system of Branch Post Offices, employment conditions and the existing structure of wage and emoluments paid to the Gramin Dak Sevaks and recommend necessary changes;

(b) To review the existing Service Discharge Benefit Scheme/other social security benefits for the GDS employees and suggest necessary changes;

(c) To review the existing facilities/welfare measures provided to the Gramin Dak Sevaks and suggest necessary changes;

(d) To examine and suggest any changes in the method of recruitment, minimum qualification for appointment as Gramin Dak Sevaks and their conduct and disciplinary rules, particularly keeping in view the proposed induction of technology in the Rural Post Offices;

4. The Committee will function for a period of one year, extendable at the discretion of the Government.

5. The Chairman of the Committee will be assisted by Shri T.Q. Mohammad, a Senior Administrative Grade Officer of the Department, who will act as Secretary to the GDS Committee. Adequate staff support will be provided to the Committee by the Department of Posts. The Committee will keep the 7th Central Pay Commission informed of the progress of its work during the period of tenure of the Commission.

6. The Committee will devise its own procedure and may call for such information and take such evidence, as considered necessary.

7. The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

SHRI PRADEEP KUMAR, Director (Establishment)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.